आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ(एसएस) अ.सं. 215 से 220/इंदौर/2017
निर्धारण वर्ष : 2007-08 से 2012-13
आ.अ.सं. 585/ इंदौर /2017
निर्धारण वर्ष : 2013-14

श्री भारत सिंह, भोपाल	बनाम	आयकर उपायुक्त(सेंट्रल)-1, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएनक्यूपीएस 9775 बी		

आ(एसएस) अ.सं. 199 से 201/इंदौर/2017
निर्धारण वर्ष : 2007-08 से 2009-10

श्रीमती सीमा सिंह, भोपाल	बनाम	आयकर उपायुक्त(सेंट्रल)-1, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एवाईएमपीएस 8962 एम		

अपीलार्थियों की ओर से	श्री हितेश चिमनानी, प्राधि.प्रति.
राजस्व की ओर से	श्री एस.एस.मंत्री, वरिष्ठ वि.प्रति.
सुनवाई तिथि	28.05.2021
उद्घघोषणा तिथि	28.05.2021

आदेश

<u>न्यायपीठ द्वारा</u>

ऊपर दर्शित निर्धारण वर्षों से संबंधित निर्धारितियों की उपरोक्त शीर्षकों की अपीलें आयकर आयुक्त (अपील)-3, भोपाल (संक्षिप्त में आ.आ.(अ)) के सुसंगत आदेशों दिनांक 12.06.2017 तथा 19.05.2017 के विरूद्ध निदेशित हैं ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, संबंधित निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारितियों ने “विवाद से विश्वास योजना,2020” के तहत आवेदन किया है तथा विभाग द्वारा निर्धारितियों को फार्म सं. 3 जारी किया गया है । “विवाद से विश्वास योजना,2020” हेतु विरचित नियमों के अनुसार, वर्तमान अपीलों को वापिस लेना अपेक्षित है और अतः इन अपीलों को वापिस लेने हेतु अनुरोध किया गया था ।

3. दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि (विप्र) ने निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा “विवाद से विश्वास योजना,2020” में भाग लेने हेतु पात्र होने के उद्देश्य से वर्तमान अपीलों को वापिस लेने हेतु किए गए अनुरोध का विरोध नहीं किया था ।

4. हमने परस्पर विरोधी दावों को सुना है तथा हमारे समक्ष रखे गए अभिलेखों का अवलोकन किया है । निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा निवेदन किया गया कि चूंकि निर्धारितियों ने “विवाद से विश्वास योजना,2020” में भाग लिया है, अतः निर्धारितियों को वर्तमान अपीलों को वापिस लेना हैं । प्रकरण के इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन, हम एतद् द्वारा निर्धारितियों द्वारा दाखिल वर्तमान अपीलों को वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

5. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे यदि उनका इस

योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

6. परिणामतः, निर्धारितियों की सभी अपीलें वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं।

यह आदेश 28.05.2021 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/- हस्ता/-

(राजपाल यादव) (मनीष बोरड)

उपाध्यक्ष लेखा सदस्य

दिनांक : 08.05.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल